संख्या–2636 / 77–6–2023–06(पीएसपी / एसीएमई–1) / 2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य संचालन अधिकारी,
एसीएमई क्लीनटेक सल्यूशंस प्रा0लि0,
प्लाट नं0–152, सेक्टर–44,
गुरूग्राम–हरियाणा।

औद्योगिक विकास अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनाँक 28 जुलाई, 2023**

विषयः–जनपद मिर्जापुर में 900 मेगावाट क्षमता का पम्प स्टोरेज पावर प्लांट परियोजना की सैद्धान्तिक अनुमति विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–ACME/CEO/290523/4908 दिनांक 29.05.2023 का संदर्भ लें। आपने उक्त पत्र के माध्यम से मिर्जापुर जनपद, उत्तर प्रदेश के ग्राम सोनगढ़ा में 900 मेगावाट का पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 04.07.2023 को शासन में प्रस्तुतीकरण किया गया। उक्त प्रस्तुतीकरण बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 04.07.2023 निर्गत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान योजना के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया :–

2. पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP)

"पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट" एक क्लीन, ग्रीन एवं सेफ प्रोजेक्ट है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट को वाटर बैटरी भी कहा जाता है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट द्वारा फर्म, फ्लैक्सीबल तथा डिस्पैचेबल पावर का उत्पादन किया जाता है। परियोजना की लाईफ 40–50 वर्ष है। यह परियोजना गैर प्रदूषणकारी है तथा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट, मेन रीवर स्ट्रीम पर नहीं होने की वजह से रिवराईन इकोसिस्टम (riverine ecosystem) को परिवर्तित/डैमेज नहीं करता है। परियोजना में अप–फ्रन्ट कॉस्ट कम है तथा स्टोरेज की लागत भी कम है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट में कन्वेंशनल रूप से अपर एवं लोअर रिजरवायर (Upper and Lower Reservoir) दोनों रीवर स्ट्रीम पर होते हैं। ऑफ स्ट्रीम पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट में एक श्रेणी ओपेन लूप की होती है, जिसमें एक रिजरवायर मेन रीवर सिस्टम पर होता है और दूसरा रीवर स्ट्रीम से अलग होता है। क्लोज लूप पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट में अपर एवं लोअर रिजरवायर दोनों ही रीवर कोर्स से अलग होते हैं। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट में एक्सेस/रिन्युएवल/सस्ती एनर्जी होने के समय पानी को अपर रिजरवायर (Upper

Reservoir) में पम्प किया जाता है। विद्युत की डिमाण्ड ज्यादा होने तथा विद्युत महँगा होने के समय में पानी को अपर रिजरवायर से लोअर रिजरवायर में ले जाकर बिजली जनरेट की जाती है। अतः पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पीक डिमांड के समय विद्युत उत्पादन करती है और पानी अपर रिजरवायर में स्टोर करने का काम जब विद्युत सस्ती होती है तब करती है।

3. पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के विषय पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2023 को निर्गत Guidelines to Promote Development of Pump Storage Projects (PSP)-regarding. के प्राविधानों पर भी चर्चा की गयी। उक्त गाईडलाइन के पैरा–3, 3.1, (iv) में Self-Identified off-stream Pumped Storage Projects के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान है :–

"... In addition to the above methods, developers may also self-identify potential off-stream sites where PSPs can be constructed. Since these sites are away from the riverine system and do not utilize the natural resources like river streams, allotment from State Governments would not be required for the development of PSP projects on such sites. Further, all statutory clearances need to be obtained from State and Central agencies before starting construction. It will help in harnessing the off-stream potential in the country at a faster pace. Projects developed in such a manner would be provided all concessions mentioned in these guidelines, subject to the directions issued by the Government from time to time. "

4. पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में एसीएमई क्लीनटेक सल्यूशंस प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 03.04.2023 को प्रदेश सरकार के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है। कम्पनी द्वारा पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए स्थल चयन कर सर्वेक्षण/डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detail Project Report) बनाने आदि का कार्य किया जा रहा है। कम्पनी का यह अनुरोध है कि पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के स्थल के विषय में काफी विस्तृत सर्वेक्षण करना होता है तथा डी0पी0आर0 आदि बनाने में काफी ज्यादा समय व संसाधन लगता है, इसलिए इन प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के पूर्व किए जा रहे सर्वेक्षण आदि के कार्य के लिए कम्पनी के आवेदन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक पत्र निर्गत किया जाए ताकि एक साईट पर एक से ज्यादा कम्पनियॉ सर्वेक्षण आदि का कार्य न प्रारम्भ करें और इस तरह के किसी ओवर लैपिंग से बचा जा सके।

5. एसीएमई क्लीनटेक सल्यूशंस प्रा0लि0 के परियोजना का विवरण:–

मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सालूसन्स प्रा0लि0 तथा राज्य सरकार के मध्य दिनांक 03.04.2023 को मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग हस्ताक्षरित हुआ। इसके अनुक्रम में कम्पनी द्वारा 02 साईट पर अपना प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है। मुसाखण्ड नामक पहला प्रोजेक्ट जनपद– चंदौली, तहसील, चकिया के मुबारकपुर गांव तथा अडवा नामक दूसरा प्रोजेक्ट जनपद– मिर्जापुर, तहसील, लालगंज के सोनगढ़ा गांव में प्रस्तावित है। दोनों

साईट को मिलाकर कुल 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है और परियोजनाओं की लागत रू.6561.00 करोड़ है। कुल भूमि की आवश्यकता 671.4 हेक्टेयर है। परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव दिनांक 29.05.2023 को दिया गया है। दोनों परियोजनाओं (600 मेगावाट की मूसाखण्ड परियोजना तथा 900 मेगावाट की अडवा परियोजना) की साईकिल इफिसियेंसी 77.92 प्रतिशत है। दोनों परियोजनाओं से प्रतिदिन 06 घण्टे विद्युत का उत्पादन होगा तथा प्रतिदिन 07 घण्टे जल का निष्कासन किया जाएगा। मुसाखण्ड परियोजना हेतु जल की आपूर्ति मुसाखण्ड जलाशय तथा अडवा परियोजना हेतु जल की आपूर्ति अडवा जलाशय द्वारा की जाएगी। मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सल्यूशंस द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं के संबंध में टापोग्राफिकल सर्वे तथा जियोलाजिकल स्टडी की कार्यवाही करायी जा रही है।

6. शासन स्तर पर आहूत बैठक दिनांक 04.07.2023 में अवधारित मत के क्रम में फर्म द्वारा मिर्जापुर जनपद, उत्तर प्रदेश के ग्राम सोनगढ़ा में स्थापित किए जा रहे 900 मेगावाट का पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट पावर प्लांट परियोजना की निम्नवत शर्तों के अधीन एतदद्वारा सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की जाती है–

1. मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सल्यूशंस प्रा. लि. द्वारा प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करके इन्वेस्ट यूपी एवं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UP New & Renewable Energy Development Agency) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2. उक्त परियोजना हेतु मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सल्यूशंस प्रा. लि. द्वारा स्वयं की लागत एवं व्यय पर निजी समझौते एवं यथावश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से भूमि का अधिग्रहण प्रारम्भ किया जा सकता है।
3. राज्य सरकार जल आवंटन की प्रक्रिया के साथ–साथ वार्षिक पुनर्भरण (Recouping) के प्राविधान को सुगम बनाएगी। यद्यपि, जल निकासी की अनुमति केवल बाढ़ की ऋतु में उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग तथा केंद्रीय जल आयोग के अनुमोदनोपरान्त प्रदान की जाएगी।
4. राज्य सरकार द्वारा मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सल्यूशंस प्रा. लि. की उक्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु केंद्र/राज्य सरकार की प्रचलित/वर्तमान नीतियों/नियमों/योजनाओं के अनुसार आवश्यक स्वीकृतियों/अनुमोदनों को प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। इस प्रकार की समस्त स्वीकृतियों/अनुमोदनों को प्राप्त करने हेतु इन्वेस्ट यूपी को सूचित करते हुए विभिन्न सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों में आवेदन प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सल्यूशंस प्रा. लि. का होगा।
5. मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सल्यूशंस प्रा. लि. द्वारा उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत प्राविधानित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए

निर्धारित किए गए नियमों एवं प्रारूपों के अनुसार अपना आवेदन इन्वेस्ट यूपी में प्रस्तुत किया सकता है। इन्वेस्ट यूपी द्वारा नीति के प्राविधानों एवं तत्क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों के अनुसार आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी।

6. मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सल्यूशंस प्रा. लि. द्वारा प्रचलित सीएसआर (Corporate Social Responsibility) नियमों के अनुसार स्थानीय रूप से आस–पास के क्षेत्रों के लाभ के लिए सीएसआर के अंतर्गत गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।
7. परियोजना का विकास–इस विषय पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2023 को निर्गत Guidelines to Promote Development of Pump Storage Projects (PSP) के प्राविधानों के अधीन होगा।

भवदीय,

Manoj 24.7.23

(मनोज कुमार सिंह)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या–2636(1)/77–6–2023–06(पीएसपी/एसीएमई–1)/2023, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा/वन/राजस्व/सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0
4. मण्डलायुक्त, मिर्जापुर।
5. निदेशक, यूपीनेडा।
6. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय वीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

अरविन्द
24.7.23

24/7/23